Indian Sociological Society

43rd All India Sociological Conference

9th – 12th November, 2017
Department of Sociology
University of Lucknow,
Lucknow

RC- 18
Sociology of Crime & Deviance

"खुले कारागार का सुधारात्मक दृष्टिकोण: विशेष संदर्भ पैठन का खुला कारागार"

श्री. विनोद बी. खेडकर
सहायक प्राध्यापक,
डॉ.एम.के.उमाठे कला,विज्ञान व
आर. मोखारे वाणिज्य महाविद्यालय,
नागपूर.

DR. M. K. UMATHE COLLEGE NAGPUR

PRINCIPAL
Dr. M. K. Umathe College
Nagpur - 440022

खुले कारागार की स्थापना को बंदियों के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। इसी हेतु संशोधनकर्ता ने बंदीओं के सुधारना हेतु कारागार में कौन से सुधारणा कार्यक्रम चलाए जाते हैं? जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनसे उन में क्या परिवर्तन आया है? पुनर्वसन के लिए क्या किया जाता है? उनके दृष्टिकोण में सुधार लाने के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उसी कार्यक्रम से बंदियों में सचमुच सुधारना होती है? इसी हेतु अनुसंधानकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन किया है।

➢ खुले कारागार का अर्थ और परिभाषा:

दंड की बहु प्रचलित संस्था बंद कारागार के परिप्रेक्ष्य में खुला शब्द को बंद का विलोमार्थक माना जाता है। कारागार का अर्थ सामान्य व्यक्ति के अनुसार एक बंद गुहा तथा प्रतिबंधित भवन से है। इस धरना के प्रकाश में खुली जेल का नाम तभी सार्थक होता है जबकि उनमें सामान्य जनता आजादी के साथ-साथ आ-जा सके। खुला शब्द का महत्वपूर्ण पहलू है जिलों का जीवन उनकी व्यवस्था एवं प्रशासन। एक आदर्श जेल में कैदियों को उन संस्था का समूचा प्रशासनिक एवं व्यवस्था संबंधी उत्तरदायित्व बिना किसी पूर्व-निश्चित अनुदेश के दे दिया जाना चाहिए।

सुधारात्मक सेवाओं का केंद्रीय ब्यूरो- अधिक सुरक्षा वाली, बिना दीवार की जेल को आधी-खुली जेल कहा जा सकता है, जिसमें वह बंदी रखे जा सकते हैं, जो प्रारंभ में न्यूनतम सुरक्षा के लिए पूरी तरह से योग्य नहीं माने जाते किंतु जिनमें नियंत्रण खुली जेल की तुलना में अधिक-से-अधिक उदार रखा जाता है।[1] **इंडिया जेल मैन्युअल कमिटी-** "वास्तव में खुले कारागार यह सुरक्षा, संगठन, नातलग अपने इच्छा के अनुसार मिलना और बंदियोव्दरा दिन में अपने इच्छानुसार बाजार में आणे-जाने के स्वातंत्र्य के दृष्टी से खुला है।[2]

खुले कारागार का यह प्रयोग विश्व में स्वित्झरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय राष्ट्र, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया देशों में सफल रहा है। ई.स. 1891 में स्वित्झरलैंड के विटझविल यहा पहला खुला जेल स्थापित हुआ। यह संकल्पना पूरी तरह 'ऑटोकिल्लेर हॉल' इनकी थी।[3] भारत में 1905 में ठाने में मुंबई प्रेसिडेंसी के नाम से स्थापित हुआ। लेकिन 1910 में यह बंद हो गया। उसके बाद 1952 में उत्तरप्रदेश में चंद्रप्रभा नदी पर बांध बनाने हेतु 'संपूर्णानंद शिविर' की

---

[1] Central Bureau of Correctional Service. 1973. Open Prison in India, New Delhi: Ministry of Home Affairs. P. No. 42

[2] लावनिया,एम.एम., और जैन, शशी के. १९८७. अपराधशास्त्र, जयपूर: रिसर्च पब्लीकेशंस. पृ. क्र. १७७

[3] Howard Jones, Paul Cornes, Richard Stockford. 1977. Open Prison, London, Henley & Boston: Routledge & Kegan Paul Publications. P. No. 4

DR. M. K. UMATHE COLLEGE NAGPUR

प्रतिभाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए काम कर रही है, जो अपने अपराधों को बाहर करने और शिक्षा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए खुले कारागार काम कर रहा हैं। कैदीओं में शिक्षा को लेकर आत्मसम्मान की भावना, सकारात्मक दृष्टिकोण, संवाद कौशल्य और अपराध के प्रती पश्चाताप की भावना निर्माण हुई है।

❖ **सांस्कृतिक गतिविधियाँ**

इस खुली जेल में कैदियों के मनोरंजन और उनकी मानसिकता को बदलने के लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें गायन कार्यक्रम, नाटक, एकांकीकी, सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, व्याख्यान, कीर्तन आदि शामिल हैं। ये कार्यक्रम कैदियों को जानने में मदद करते हैं।

खुली जेलों में उत्तरदाताओं के लिए मनोरंजन के साधनों के एक अध्ययन से पता चला है कि 1 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि फिल्म मनोरंजन का साधन है। रेडियो उत्तरदाताओं के 1% के लिए उपलब्ध एक उपकरण है। 10% उत्तरदाताओं के अनुसार खेल और फिल्में मनोरंजन के लिए हैं। 88% उत्तरदाताओं के अनुसार खेल, फिल्में और नाटक प्रयोगों जैसे उपकरण मनोरंजन के लिए हैं। संक्षेप में 88% उत्तरदाताओं ने कहा कि खुले जेल में मनोरंजन के लिए खेल, फिल्में और नाटक दिखाते हैं। ये उपकरण न केवल कैदियों का मनोरंजन करते हैं बल्कि कैदियों के व्यक्तित्व विकास को भी बढ़ाते हैं। सामाजिक परिस्थितियों के बारे में जागरूकता जो कैदियों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण हैं। नाटक के प्रयोग व्यक्तिगत कलात्मक प्रतिभा को गुंजाइश देते हैं। उनकी रचनात्मकता को खेल, नाटक के माध्यम से पोषित किया जाता है और ये गतिविधियां सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खुले जेल में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए बाहर के लोगों को बुलाया जाता है इससे उनमें सकारात्मक विचार निर्माण हुआ है और उनमें आत्मविश्वास भी आया है।

❖ **आर्थिक उपक्रम:**

कैदियों को काम के बदले में १२.७५ रु, १७.५० रु और २५.५० रुपये का वेतन भुगतान किया जाता है। यह वेतन कार्य की प्रकृति से निर्धारित होता है। इससे उन्हें अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।

DR. M. K. UMATHE COLLEGE NAGPUR

उत्तरदाताओं में परिणामी परिवर्तनों का अध्ययन करते हुए यह कहा जा सकता है कि, विपश्यना शिविर, कानूनी शिविर, स्वास्थ्य शिविर, गांधी विचार शिविर और आर्ट ऑफ़ लिविंग शिविर, योगाभ्यास खुले जेलों में संचालित किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, 79% कैदियों का कहना है कि उनका समाज प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, व्यक्तित्व विकास और अच्छे विचार निर्माण हो रहे है। 31 प्रतिशत कैदियों में सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यक्तित्व विकसित हुआ है। जेल में कैदियों को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए गांधी विचार, विपश्यना शिवीर, आर्ट ऑफ़ लिविंग शिविर, हेल्थ कैंप, योगाभ्यास जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। इससे उनका व्यक्तित्व विकास होता है, ये गतिविधियाँ सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद करती हैं। इससे मनशांति, मानसिक तनाव से मुक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण हुआ है।

➢ निष्कर्ष:

१. खुले जेल में क़ैदियों के सुधार के लिए सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक कार्यक्रम लिए जाते हैं।

२. सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कैदियों में सांघिक भावना और मानसिक तनाव दूर हुआ है।

३. बहुतांश कैदियों में टी.वी और सिनेमा देखने से सुधार की भावना जागृत हो रही है और तनाव से मुक्ति मिली है।

४. खुले कारागार में होने वाले विभिन्न व्याख्यानो से जिम्मेदारी की जाणीव, पश्चाताप की भावना, नैतिक मूल्यों की भावना जागृत हुई है।

५. खुले जेल में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए बाहर के लोगों को बुलाया जाता है इससे उनमें सकारात्मक विचार निर्माण हुआ है और उनमें आत्मविश्वास आया है।

६. खुले जेल में बंदियों के सुधार हेतु विपश्यना शिविर, गांधी विचार शिविर, कानून विशेष शिविर, आर्ट ऑफ लिविंग और योगाभ्यास लिया जाता है।

७. कैदियो में विपश्यना से मनशांति, मानसिक तनाव से मुक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण हुआ है।

८. आर्ट ऑफ लिविंग से बंदियों में मानसिक शांति, अच्छा व्यक्ति बनने की इच्छा और आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है।

९. कैदियों में योगा से आत्मविश्वास, मानसिक और शारीरिक आरोग्य, मन में अच्छे विचार, स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त हुआ है।

१०. खुले जेल में कैदियों की सुधार हेतु शिक्षा उपलब्ध की गई है।

DR. M. K. UMATHE COLLEGE NAGPUR

43rd All India Sociological Conference
Indian Sociological Society

on

Neo-Liberalism, Consumption and Culture

Department of Sociology, University of Lucknow, Lucknow
9 -12 November, 2017

Certificate

Certified that

Vinod B. Khedkar

has participated / presented a paper titled / chaired a session in the Research Committee

खुले कारागार का सुधारात्मक दृष्टिकोण : विशेष संदर्भ पैठण का खुला कारागार

DR. M. K. UMATHE COLLEGE NAGPUR

Prof. SUJATA PATEL
President, ISS

Prof. ABHA CHAUHAN
Secretary, ISS

PRINCIPAL
Dr. M. K. Umathe College
Nagpur - 440022

Prof. D.R. SAHU
Organizing Secretary